

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
61/021	212 RTA	रवातेली	सतडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
ग्यारसीलाल		बनाम	मन्नालाल वगै०

वकील :- अजय शर्मा वास्तव एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

21 <sup>9</sup> / <sub>21</sub>	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/11/21 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>M</i> उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज०)</p>	
6 <sup>10</sup> / <sub>21</sub>	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिक्ति 21/21/21 पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 19/11/21 को पेश हो।</p>	
9 <sup>2</sup> / <sub>22</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामोल समान अपराधी पुनः तलव हेतु तलवना पेश करें। वास्तव तलव पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो।</p>	
28 <sup>3</sup> / <sub>22</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। तीन बार आवक पुनर्वाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदालत हाजरी अदालत पेश की रकारिज किया जाता है पत्रावली पेशाल सुभार होकर दायित्व दफ्तर हो।</p>	